मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय मानवाधिकार प्रकोष्ठ, द्वितीय तल, द्वितीय टॉवर, नवीन पुलिस भवन, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ।

डीजी–परिपत्र संख्या–34/2020 दिनॉकः अक्टूबर 14, 2020

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– महिलाओं के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक एवं मर्यादित होने के सम्बन्ध में पुलिस कार्मिकों को जागरूक किया जाना।

कृपया उपरोक्त विषय में आप अवगत हैं कि महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, फिर भी हाल के दिनों में कतिपय प्रकरण दृष्टांत में आये हैं, जिनमें पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अभाव दृष्टिगोचर हुआ है।

उपरोक्त के दृष्टिगत महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किये जाने सहित उनके विरूद्ध घटित अपराधों में कार्यवाही किये जाने एवं धरना–प्रदर्शन, गिरफ्तारी, व्यक्तिगत तलाशी/परिसर की तलाशी के समय ऐसी परिस्थिति जिसमें पुलिस का सम्पर्क महिलाओं से होने की प्रबल सम्भावना रहती है, के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा हैः–

1– दबिश के दौरान वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के समय पुलिस पार्टी के समक्ष प्रायः परिवार की महिलाओं द्वारा बाधा उत्पन्न करने की सम्भावना बनी रहती है, इसलिए किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी के समय पुलिस टीम में महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है।

2– भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 46(1) में उल्लेख है कि महिला अभियुक्ता की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही धारा 46(4) में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तथा अपरिहार्य परिस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति प्राप्त करके ही गिरफ्तारी की जाएगी।

Scanned by CamScanner

3— भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 51 में उल्लेख है कि जब कभी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो ऐसी तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाएगी तथा तलाशी के दौरान पूर्ण शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा।

4— जनसभाओं एवं विभिन्न प्रदर्शनों में प्रायः महिलाओं की सहभागिता रहती है। ऐसे आयोजनों/धरना—प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बन्दोबस्त में महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजनों में महिलाओं को वहाँ से हटाना हो या कार्यवाही/ गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक हो तो पूरी शालीनता व शिष्टाचार एवं मर्यादित आचरण करते हुए गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में महिलाओं के प्रति पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में और अधिक संवेदनशीलता आए तथा उनके प्रति आचरण सम्मानजनक एवं मर्यादित बना रहे।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।
2— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0।
3— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
4— समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0।
5— समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner